न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/96/2017	14–07–2017	15–03–2018

01—[illegible] पुत्र सलेम जाति मेव निवासी रब्बाका तहसील रामगढ जिला अलवर राज0

अपीलाण्ट

बनाम

01— नायब तहसीलदार, रामगढ जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ दिनांक 17.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 223/2017

उपस्थितः—

01—श्री राधेलाल गुर्जर —वकील अपीलाण्ट

—ःनिर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 17.03.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रब्बाका की सरकारी बंजड अब्बल भूमी आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 0.22 है0, मे से 0.22 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रब्बाका की सरकारी बंजड अब्बल भूमी आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 0.22 है0, मे से 0.22 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिकमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिकमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 17.03.2017 के विरूद्ध दिनांक 14.07.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिकमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 14.07.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का सुन्हैडा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिकमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15–03–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)